बिहार राज्य

आपदा प्रबंधन नीति

2007

सत्यमेव जयते

आपदा प्रबंधन विभाग

बिहार सरकार

पटना

अनुक्रमणिका

क्र0	विषय	पृष्ठ
1.	परिचय/भूमिका	3
2.	लक्ष्य	3
3.	उद्देश्य	4-5
4.	दृष्टिकोण व रणनीति	5-7
5.	सरकार और अन्य सहयोगियों (Stakeholders) की गतिविधियाँ	8-14
5.1	भेद्यता विश्लेषण / जोखिम मूल्यांकन)	8
5.2	नीति /योजना	8
5.3	विकास बनाम आपदा प्रबंधन	9
5.4	सूचना/तकनीकी तंत्र तथा प्रभावी पूर्व चेतावनी व्यवस्था	9
5.5	सामर्थ्य एवं क्षमता निर्माण	9
5.6	पूर्व अनुभवों से सीख और ज्ञान प्रबंधन	10
5.7	कोष विन्यास तथा आवंटन की व्यवस्था	10-11
5.8	संकट के साझीदार और संकट का अंतरण	10
5.9	आपदा की घोषणा	10
5.10	नियंत्रण कमाण्ड की उचित श्रृंखला के माध्यम से प्रत्युत्तर	11
5.11	खोज एवं बचाव	11-12
5.12	आवासन, स्वास्थ्य और स्वच्छता	11
5.13	जल्द और समय से प्रत्युत्तर हेतु कार्य प्रणाली में लचीलापन	11
5.14	आधारभूत सुविधाएँ और आवश्यक सेवाएँ	12
5.15	संचार	12
5.16	राहत व्यवस्था और पैकेज	12-13
5.17	सुरक्षा	12
5.18	क्षति सर्वेक्षण	12
5.19	तत्काल राहत हेतु निधि का उपबंध	13
5.20	पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास योजना	13
5.21	पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास के लिये कोष प्रबंधन	13
5.22	पुनर्निर्माण /पुनर्वास प्रबंधन	14
	परिशिष्ट - I आपदा कमान संरचना	15
	परिशिष्ट - II संबंधित परिभाषाएँ	16-17
	परिशिष्ट - III आधिसुचना	18-19

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन नीति

1. भूमिका

1.1 बिहार देश के सर्वाधिक आपदा प्रभावित राज्यों में से एक है। बाढ़, सूखा, भूकंप, लू/शीतलहर, नदियों में कटाव, अग्निकांड आदि आपदा के विभिन्न रूप राज्य में विद्यमान है । प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़ सबसे ज्यादा आम और हर साल आने वाली आपदा है जिससे जान-माल की अपार क्षति होती है ।

बाढ़ के अतिरिक्त भूकंपीय भेद्यता के कारण राज्य में भूकम्प का खतरा भी बना हुआ है । बढ़ती आबादी का दबाव, भवनों का उच्च घनत्व और उनका निम्न गुणवत्तायुक्त निर्माण, खतरनाक इलाकों में निवास और आपदा न्यूनीकरण /पूर्व तैयारी पर अपर्याप्त या शून्य निवेश के कारण जनता की प्राकृतिक आपदाओं के प्रति भेद्यता में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है ।

1.2 जान-माल की व्यापक क्षति के अतिरिक्त इन आपदाओं ने पिछले वर्षो में राज्य के आर्थिक विकास को भी बुरी तरह प्रभावित किया है । दिन-ब-दिन आपदाओं के इस बढ़ते खतरे के प्रति गंभीर रुख अपनाते हुए राज्य सरकार, राज्य के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास पर पड़नेवाले आपदाओं के घातक प्रभाव को कम करने के उद्देश्य के लक्ष्य से एक सकारात्मक, विस्तृत और दीर्घकालीन दृष्टि की जरूरत को मान्यता प्रदान करती है । इस समस्या का अधिक प्रभावशाली व कुशलता के साथ सामना करने के लिए राज्य सरकार एक नीति की जरूरत महसूस करती है, जो आपदा प्रबंधन की दृष्टि और रणनीति को स्पष्टतः व्यक्त कर सकने में सक्षम हो । इसे ध्यान में रखते हुए बिहार आपदा प्रबंधन नीति (बी एस डी एम पी अथवा नीति) बनाई गई है ।

2. लक्ष्य

प्रभावशाली व्यवस्था, ढाँचा, कार्यक्रम, स्रोत, क्षमता और मार्गदर्शक सिद्धांत का निर्माण करना जिससे लोगों की (खासकर गरीबों एवं कमजोर वर्गो की) प्राकृतिक/मानव निर्मित आपदाओं के

प्रति भेद्यता को आपदा (जोखिम) प्रबंधन रणनीति में प्रतिमान बदलाव– जो परंपरागत राहत कार्य से एक उपयुक्त तैयारी और न्यूनीकरण पर आधारित न्यूनीकरण संस्कृति के जरिये एक प्रबन्धन योग्य एवं मानवीय स्वीकारात्मक स्तर तक न्यून किया जा सके ।

3. उद्देश्य

(क) विभिन्न आपदाओं में निहित जोखिम और नुकसान का आँकलन करना ।

(ख) उपयुक्त जोखिम न्यूनीकरण रणनीति (बचाव और न्यूनीकरण सहित) का विकास जिससे जान–माल की क्षति, आपात् काल में घटाई जा सके ।

(ग) क्षमता निर्माण और संस्थागत यांत्रिकी को मजबूत और हर स्तर पर राज्य में क्षमता निर्माण, खासकर नागरिक स्तर पर जो आपदा से निपटने में व्यवस्थित योगदान कर सके ।

(घ) राज्य में आपदा प्रबंधन व्यवस्था की क्षमता को सुदृढ़ करना जिससे जोखिम को कम किया जाय और हर स्तर पर प्रत्युत्तर व पुर्नस्थापन प्रबंधन को पारिभाषित किया जाय ।

(ड0) प्रभावित समुदायों के पुर्ननिर्माण कार्यो के रूपांकन में जोखिम को कम करने तथा तैयारी, प्रत्युत्तर और पुर्नस्थापन कार्यक्रम को व्यवस्थित ढंग से शामिल करना ।

(च) आपदा जोखिम के विचारों को हर स्तर पर विकास नीतियों, योजना व कार्यक्रम बनाने, आपदा से बचाव, न्यूनीकरण, तैयारी और नुकसान में कमी पर विशेष जोर देते हुए एक मार्गदर्शक नीति बनाना ।

(छ) आपदा प्रबंधन से संबंधित सभी लोगों की भूमिका और जिम्मेवारी के बारे में स्पष्टता प्रदान करना, जिससे आपदा का अधिक प्रभावशाली ढंग से मुकाबला किया जा सके ।

(ज) समाज की क्षमता को मजबूती और लोगों को प्रशिक्षित/जागरूक करना, जिससे आपदा का प्रत्युत्तर बेहतर व्यवस्था के साथ हो सके।

(झ) अत्यधिक संभावित क्षेत्र में निर्माणात्मक न्यूनीकरण उपाय, ग्रामीण आधारभूत निर्माण सहित आवास और संचार सुविधाओं के निर्माण करने के लिए मार्ग दर्शन ।

(ट) चयनित लोगों की जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व तैयारी, पूर्व चेतावनी एवं आपदा के पश्चात् राहत एवं पुनर्वास कार्यों में पेशेवर दक्षता और जानकारी का विकास करना ।

(ठ) आपदा से बचाव की तैयारी के लिए स्रोत, उपकरण, आपूर्ति एवं धन उपलब्ध कराने के उपायों को विकसित करना व उन्हें जारी रखना ।

(ड) देश के अन्य राज्यों तथा अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएँ, जो आपदा प्रबंधन के कार्य से जुड़ी है, के साथ समन्वय स्थापित करना ।

(ढ) बिना किसी जाति, वर्ण, समुदाय और लिंग के भेदभाव के सभी प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाना सुनिश्चित करना ।

(ण) आपदा प्रबंधन में लैंगिक मुद्दों पर ध्यान देना विशेषकर दीर्घकालिक आपदा न्यूनीकरण को ध्यान में रख कर महिला सशक्तिकरण में सहयोग करना ।

(त) सभी तरह की आपदाओं में जोखिम बंटवारा और जोखिम अंतरण के कार्यक्रमों को विकसित व कार्यान्वित करना ।

4. दृष्टिकोण व रणनीति –

4.1 बिहार सरकार यह समझती है कि आपदा प्रबंधन कोई अलग प्रक्षेत्र या विषय (discipline) नही है, बल्कि यह एक दृष्टि है जो आपदा प्रबंधन में आनेवाली बाधाओं को दूर कर विद्यमान दक्षता का विकास तथा लाभान्वितों को सुविधा प्रदान करती है । इसलिए वर्तमान ढॉचागत नीति का केन्द्रीय तत्व है कि आपदा प्रबंधन के लिए वर्तमान उपलब्ध सुविधाओं को और अधिक विकसित एवं सशक्त किया जाय । वर्तमान नीति विद्यमान तत्वों वे स्रोतों के विकास और जहॉं जरूरी हो, नई क्षमता के निर्माण पर जोर देती है ।

4.2 इसी पृष्ठभूमि में बिहार सरकार, राज्य में क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर प्रभावी आपदा प्रबंधन ढाँचा स्थापित करने का विचार रखती है, जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 के अनुरूप होगा तथा जिसमें निम्नलिखित इकाइयाँ महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी :–

- बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार (बी0एस0डी0एम0ए0),
- बिहार राज्य कार्यकारिणी समिति (बी0एस0ई0सी0),
- राज्य साहाय्य आयुक्त (एस0आर0सी0),
- विभिन्न सरकारी विभाग,
- जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला प्रशासन,
- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार (डी0डी0एम0ए0) और जिला कार्यकारिणी समुदाय (डी0ई0सी0),
- स्थानीय प्रशासन, नगर निगम, स्थानीय स्वशासन जैसे जिला, प्रखंड, ग्राम पंचायत आदि ,
- स्वयंसेवी अभिकरण, गैर सरकारी संगठन, समुदाय आधारित संगठन (सी0बी0ओ0), युवा संगठन जैसे एन0एस0एस0, एन0सी0सी0, नेहरू युवा केन्द्र, महिला मंडल दल आदि
- सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियाँ, उद्यम और
- समुदाय

अधिक प्रभावी ढंग से आपदा का प्रबंधन और इसके कुप्रभावों को कम करने हेतु ये इकाइयाँ विभिन्न गतिविधियाँ संचालित करेंगी ।

4.3 **बिहार राज्य आपदा प्रबंधन नीति** (बी0एस0डी0एम0पी0) को लागू करनेवाली रणनीति आपदा प्रबंधन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण पर जोर देती है, जो आपदा प्रबंधन के तीन चरणों को आवश्यक घटक के रूप में समाहित करती है, ये तीन चरण है ;

- **सामान्य या आपदा पूर्व स्थिति** – इस चरण में बचाव, न्यूनीकरण और तैयारी के उपाय शामिल हैं तथा इस चरण में विकसित क्षमता आपदा प्रबंधन के अगले चरणों में

महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है । इस चरण में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार (बी०एस०डी०एम०ए०) न्यूनीकरण, तैयारी और क्षमता निर्माण में नोडल एजेंसी का काम करेगी तथा इसको कार्य नयन में मदद् करेगी एवं उसका अनुश्रवण करेगी। प्राधिकार अन्य सहयोगियों जैसे – आर्थिक सहयोग करनेवाली संस्थाओं, सरकारी विभाग, स्थानीय प्रशासन, एन०जी०ओ०, निजी क्षेत्र और नागरिक समूह, राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से सम्पर्क विकसित करेगी ताकि जानकारी का आदान-प्रदान और क्षमता वृद्धि समग्र ढंग से हो सके ।

- **आपदा की स्थिति** – इस चरण में आपदा के तुरंत बाद उठाये जाने वाले सारे कदम शामिल हैं । आपदा के बाद प्रत्युत्तर (response) की गति और क्षमता, जानमाल की क्षति कम करने में निर्णायक होती है । आपदा प्रबंधन विभाग अन्य सम्बद्ध विभागों के साथ मिल कर इस चरण में विभिन्न कार्यक्रम चलाएगा । जहाँ जरूरत होगी, बी०एस०डी०एम०ए० इस चरण के कार्यकलापों को सुकर बनाएगी तथा उसका समन्वय और अनुश्रवण भी करेगा । जब आपदा का प्रभाव एक जिले की भौगोलिक सीमा तक सीमित रहे तब जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला प्रशासन, स्थानीय अधिकारियों के साथ मिल कर राहत कार्य चलाने के लिए जिम्मेवार होंगे ।

- **पुनर्वास/पुर्नस्थापन** :- यह चरण आपदा चरण के बाद आने वाली अवधि है जिसके दरम्यान पीड़ितों को सामान्य जीवन में पुर्नस्थापित करने के योग्य बनाने हेतु कार्य किया जाना है। पुर्नस्थापन के अन्तर्गत पुनर्वास और पुर्ननिर्माण दोनों आते है और इसमें असुविधाग्रस्त और कमजोर समूहों के हित में विशेष साहाय्य (कल्याण) का उपाय जारी रखना सम्मिलित है । इस चरण में सरकार का नीतिगत लक्ष्य आपदा के आर्थिक और सामाजिक परिणामों को उजागर करना और उसमें सुधार के प्रयासों को दिशा देना है ।

5. सरकार व अन्य सहयोगियों (Stakeholders) की गतिविधियाँ –

आपदा प्रबंधन के तीन चरणों के दौरान सरकार और अन्य सहयोगियों द्वारा संचालित होनेवाली मुख्य गतिविधियाँ है :-

5.1 भेद्यता (Vulnerability) का विश्लेषण /जोखिम का मूल्यांकन – इसके अन्तर्गत राज्य और राज्य के प्रत्येक हिस्से के लिए विभिन्न तरह के जोखिमों की पहचान और उनका मूल्यांकन किया जाएगा । सम्बद्ध विभाग इस कार्य हेतु बिहार राज्य आपदा प्रबधंन प्राधिकार से तालमेल बिठाएगा ताकि आपदाओं का सम्पूर्ण मूल्यांकन हो सके । इस कार्य में आपदा की संभावना के आधार पर क्षेत्र का खंडवार वर्गीकरण और भेद्यता का विश्लेषण (किसी संरचना /लोग /क्षेत्र में खतरे की डिग्री का मूल्यांकन) किया जाएगा। विश्लेषण का इस्तेमाल विस्तृत आकस्मिक योजना को विकसित करने और न्यूनीकरण उपायों को सुदृढ़ करने के लिए किया जाएगा । ये कार्य मुख्यत: राज्य कार्यकारिणी के पर्यवेक्षण में होंगे।

5.2 नीति /योजना :- प्रभावकारी आपदा प्रबंधन के लिए स्पष्ट मार्गदर्शिका का सूत्रण और सभी सरकारी प्राधिकारों, निजी क्षेत्र, सत्ताओं और नागरिकों द्वारा इसका पश्चातगामी अनुपालन परमावश्यक है । इसके लिए बिहार सरकार उपयुक्त दिशा निर्देश बनाएगी जिसमें निम्न बातें शामिल होंगी :-

- विधि/उपविधि का विकास, जो आपदा प्रबंधन के ढाँचे के गठन में सहयोग करेगा,
- नागरिक /स्मारकीय /संरचना/भूमि के इस्तेमाल की विशिष्ट योजना , तथा
- आपदा विशेष के लिए अन्य आवश्यक दिशा –निर्देश ।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार के परामर्श से ऐसी योजनाओं के लिए दिशा–निर्देश, विभिन्न सहयोगियों जैसे – सरकारी विभाग, जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन और विशेषज्ञ एजेंसियों(कार्यकारिणी समिति सहित) आदि द्वारा तैयार किया जाएगा । सम्बद्ध

प्राधिकार इन दिशा-निर्देशों के आधार पर योजना बनाएँगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि इनकी लगातार समीक्षा और संवर्द्धन हो ।

5.3 **विकास बनाम आपदा प्रबंधन** – राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य और स्थानीय प्रशासन अपनी योजना कार्यक्रम के कार्यान्वियन में आपदा जोखिम पर समुचित ध्यान दें और उपयुक्त बचाव और न्यूनीकरण के उपाय मुहैया कराये । यह राज्य कार्यकारिणी की मुख्य जिम्मेवारी होगी कि विकास कार्यक्रमों में सभी विभाग अपने विकास कार्यक्रमों में आपदा से बचाव व विशिष्ट न्यूनीकरण के उपायों को शामिल करें ।

5.4 **सूचना/तकनीकी तंत्र और प्रभावी पूर्व चेतावनी व्यवस्था** – आपदा प्रबंधन के लिए एक प्रभावशाली राज्यव्यापी सूचना तंत्र का होना जरूरी है । राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि एक व्यापक सूचना तंत्र उपलब्ध रहे ताकि आपदा संबंधी सूचना को समय पर इकट्ठा किया जाय और जरूरी सूचनाओं और चेतावनी को तेजी से फैलाया जाय । यह जिम्मेवारी मुख्य रूप से राज्य और जिला कार्यकारिणी की होगी । जहाँ तक संभव हो, सक्षम अधिकारी बाढ़, सूखे जैसी आपदाओं यथा बाढ़, सूखा इत्यादि के लिए अग्रिम चेतावनी दिये जाने हेतु प्रभावी चेतावनी तकनीक स्थापित करेंगे ।

5.5 **सामर्थ्य और क्षमता निर्माण** : बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार विभिन्न राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं, शोध संस्थानों, आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों, एन0जी0ओ0, नागरिक समूहों, लाइन विभागों, स्थानीय स्व शासन के पदाधिकारियों और अन्य सहयोगियों से सम्पर्क करेगी ताकि आपदा प्रबंधन में लगे सभी घटकों की क्षमता में वृद्धि हो सके । बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार और सम्बद्ध अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि आपदा प्रबंधन में आवश्यक जागरूकता सृजित की जाय और आवश्यक संसाधन व प्रशिक्षण सभी सहयोगियों को मिले । स्वयं सहायता और आपसी सहयोग की भावना को बढ़ाते हुए आत्म निर्भर होने के लिए समुदाय को प्रेरित किया जाएगा । आपदा प्रबंधन में क्षमता वृद्धि के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया जाएगा, ताकि दीर्घकालीन आपदा न्यूनीकरण संभव हो ।

5.6 पूर्व अनुभवों से सबक सीखना और ज्ञान प्रबंधन : बिहार की जनता लंबे समय से आपदाओं का सामना कर रही है और इस दौरान समस्या को हल करने संबंधी कई स्वदेशी तकनीकें भी विकसित हुई है । यह महत्वपूर्ण है कि इन अनुभवों को व्यवस्थित ढंग से ज्ञान प्रबंधन के जरिये विकसित कर उपयोग में लाया जाय । बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार और सम्बद्ध अधिकारी ऐसी व्यवस्था व तरीके विकसित करेंगे कि आपदा प्रबंधन में पारंपरिक साधनों के उपयोग के पिछले अनुभवों से समुचित लाभ उठाया जा सके ।

5.7 कोष विन्यास तथा आवंटन की व्यवस्था : राज्य सरकार चाहती है कि आपदा प्रबंधन के लिए बजट उपबंध की व्यवस्था विभिन्न प्रत्युत्तर और न्यूनीकरण कोष सृजन के जरिये हो । इसके साथ ही, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार, आपदा प्रबंधन में नोडल एजेंसी होने के कारण कोष के वैकल्पिक स्रोतों की भी पहचान करेगी, । राज्य कार्यकारिणी आर्थिक मामले मे राज्य सरकार को सभी दिशा-निर्देश प्रदान करेगी ।

5.8 संकट में साझेदारी और संकट का अंतरण : राज्य सरकार चाहती है कि आपदा से संबंधित खर्च को नये-नये उपाय यथा संकट की साझीदारी, संकट को टालने और अन्य उपायों के जरिये पूरा किया जाय, ताकि राज्य की आर्थिक स्थिति पर अधिक बोझ न बढ़े । यह कार्य अतिरिक्त कर लेवी, स्थानीय कर, लाभुक कोष, आपदा बीमा, सूक्ष्म वित्त और ऋण, बांड, कर बचानेवाली योजनाओं को आपदा प्रबंधन से जोड़ कर किया जा सकता है ।

5.9 आपदा की घोषणा – किसी आपदा के बाद पहला और तात्कालिक कदम, किसी आपदा के बाद, आपदा की घोषणा है । राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार, राज्य राहत आयुक्त के सुझाव पर यह घोषणा करेगी । राज्य राहत आयुक्त, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की अनुशंसा पर यह सुझाव प्राधिकार को देंगे । आपदा प्रबंधन के लिए जवाबदेह सभी एजेंसियाँ आपदा की घोषणा के बाद स्वतः सक्रिय हो जाएँगी और पूर्व में तैयार आपदा प्रबंधन योजनाओं के अनुसार कार्य करेंगी। आपदा की घोषणा स्वतः प्रत्युत्तर को गतिमान करेगी । राज्य आपदा

प्रबंधन प्राधिकार आपात्कालीन राहत उपायों की व्यवस्था को सुकर बनाएगी तथा इसका समन्वय और जिम्मेवार एजेंसियों द्वारा राहत उपायों एवं कार्यों का अनुश्रवण भी करेगी ।

5.10 नियंत्रण कमान की उचित श्रृंखला के माध्यम से प्रभावी प्रत्युत्तर –

राज्य सरकार, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार के साथ सभी आपदा प्रबंधन गतिविधियों के संचालन के लिए जिम्मेवार सहयोगियों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक स्पष्ट कमान की श्रृंखला बनाएगी ।

5.11 **खोज व बचाव** – जिलाधिकारी, स्थानीय अधिकारियों सहित प्रभावित क्षेत्र में खोज व बचाव के लिए जिम्मेवार होंगे । ऐसा करने के दरम्यान वे आपदा प्रबंधन की उपयुक्त योजनाओं से निर्देशित होंगे और इसके लिए उन्हें विभिन्न सरकारी विभागों और स्थानीय प्राधिकारों का सहयोग प्राप्त रहेगा ।

5.12 **आवासन, स्वास्थ्य और स्वच्छता** – आपदा के तुरंत बाद, आवासन के साथ ही महामारी और अपराध आदि की घटना से बचाव की जरूरत होती है । जिम्मेवार सरकारी विभाग और स्थानीय प्राधिकार पीड़ितो के अस्थायी आवासन, स्वास्थ्य और सफाई की व्यवस्था करेंगे जिससे प्रभावित लोगों को सुरक्षा और मिले और किसी महामारी के फैलने की संभावना से बचा जा सके । आपदा प्रक्रम के दरम्यान राज्य कार्यकारिणी समिति खोज-बचाव, आवास, स्वास्थ्य और सफाई से संबंधित विभिन्न एजेंसियों को तकनीकी सहयोग एवं दिशा-निर्देश देंगी ।

5.13 **जल्द और समय पर प्रत्युत्तर (त्मेचवदेमद्ध हेतु कार्य प्रणाली में लचीलापन** – आपात्कालीन स्थितियों में निष्कासन, राहत सामग्रियों को उपलब्ध कराने, बचाव संसाधन/ संसाधनों को लगाने और अन्य गतिविधियों को बहाल करने की सरल प्रक्रिया अपनाये जाने की आवश्यकता है । आपात्कालीन स्थिति में राज्य सरकार ऐसे मामलों के निष्पादन हेतु लचीली तकनीकी प्रक्रिया का निरूपण करेगी ।

5.14 आधारभूत संरचना और आवश्यक सेवाएँ – आपदाएँ आधारभूत संरचनाओं यथा सड़कों, पुलों, जल/बिजली आपूर्ति आदि को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचाती हैं । स्थानीय अधिकारीगण संबंधित सरकारी विभागों के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर स्थितियों को सामान्य करने के लिए कार्य करेंगे ।

5.15 संचार : राज्य पदाधिकारीगण, जिला प्रशासन और स्थानीय अधिकारी वृहत समुदाय तक आपदा के प्रभाव के संबंध में जानकारी देंगे और प्रभाव को कम करने के लिए की जा रही गतिविधियों को मीडिया प्रबंधन, सामुदायिक प्रबंधन के जरिये भय के माहौल को रोकने का कार्य करेंगे ।

5.16 राहत व्यवस्था और पैकेज : राज्य सरकार द्वारा अगर जरूरी हुआ तो राहत पैकेज को, आपदा की जरूरत के अनुरूप मुहैया कराया जाएगा । प्रभावित समुदायों के बीच राहत सामग्रियों के वितरण हेतु राहत पैकेजों पर संग्रह, वितरण, निधि संवितरण इत्यादि का पूर्व विवरण अंकित किया जाएगा । बिना किसी जाति, धर्म, समुदाय या लिंग के भेदभाव के राहत पहुंचाई जाएगी ।

5.17 सुरक्षा – आपदा से उत्पन्न स्थिति का लाभ असामाजिक तत्व न उठा सके, इससे बचने और नागरिकों में सुरक्षा भाव पैदा करने हेतु राज्य सरकार, राज्य राहत आयुक्त और जिलाधिकारी स्थानीय पुलिस और अन्य बलों के सहयोग से आवश्यक प्रबंधन करेगी । एन0जी0ओ0, स्वयंसेवकों और स्थानीय संगठनों को सक्रियतापूर्वक इस क्रियाकलाप में लगाया जाएगा ।

5.18 क्षति सर्वेक्षण – आपदा के बाद उपलब्ध संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के लिये आपदा से होनेवाली हानि का प्राथमिक ऑकलन/ सर्वे करना जरूरी है । एक बार जब आपदा आती है, सरकारी विभाग और स्थानीय अधिकारी उचित दिशा–निर्देश जारी कर हुए नुकसान और आवश्यकताओं का जायजा लेंगे और उसके अनुसार जिला प्रशासन तद्नुसार संसाधन इकट्ठा करेगा ।

पुननिर्माण और पुनर्वास कार्य प्रारंभ करने से पहले भी विस्तृत क्षति ऑकलन जरूरी है । बड़े पैमाने पर विध्वंस के बाद

सम्बन्धित विभाग और स्थानीय अधिकारी अपने स्तर पर प्रभावित क्षेत्र में आवास, उद्योग/सेवा, बुनियादी ढाँचे, पर्यावरण, कृषि, स्वास्थ्य/शिक्षण आदि का विस्तृत क्षति आँकलन करावेंगे । स्थानीय पदाधिकारीगण, आपदा प्रभावित लोगों के परामर्श से और बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार के निर्देशन में आपदा की प्रकृति एवं नुकसान की सीमा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक राहत देने एवं पुर्नस्थापना पर निर्णय लेगी ।

5.19 तत्काल राहत एवं बचाव हेतु निधि का उपबंध – तत्काल राहत और बचाव कार्य हेतु निधि आपदा राहत कोष या इस तरह के प्रत्युत्तर हेतु सृजित कोष से उपलब्ध कराई जाएगी । आवश्यकता पड़ने पर, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की अनुशंसा पर राज्य सरकार विशेष अनुदान का प्रबंध कर सकती है । यदि यह निधि बड़ी आपदाओं के पश्चात् उत्पन्न स्थिति में आपदा प्रबंधन के लिए पर्याप्त न हो तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार सहायता (Aid) अनुदान (Grant), ऋण (Loan) इत्यादि के जरिये भी निधि के अतिरिक्त श्रोतों का अन्वेषण करेगी ।

5.20 पुननिर्माण और पुनर्वास योजना : प्रभावकारी पुननिर्माण और पुनर्वास हेतु विस्तृत योजना और सतर्कतापूर्वक अनुश्रवण की आवश्यकता होती है । बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार पूरे पुननिर्माण और पुनर्वास कार्य का अधिदर्शन करेगी और यह बात सुनिश्चित करेगी कि इसमें राज्य की समग्र विकास योजनाओं पर ध्यान दिया जा रहा है । पुननिर्माण और पुनर्वास योजनाएँ निम्नांकित पर आधारित होंगी :-

- ✦ प्रासंगिक विभागों द्वारा उपयुक्त योजनाओं का चयन ।
- ✦ योजनाओं पर संबंधित तकनीकी अधिकारियों का अनुमोदन ।

5.21 पुर्निर्माण एवं पुनर्वास के लिए कोष प्रबंधन – राज्य सरकार कोष सृजन के तरीके, प्रसंविदा (विधि) एवं उपाय का निर्धारण करेगी, जो निधि की आवाही (inflow), व्यय और उपयोग पर नियंत्रण रखे । इसमें सन्निहित है –

- विस्तृत क्षति ऑंकलन प्रतिवेदन पर आधारित आवश्यक कोष का ऑंकलन और सेक्टोरल एवं क्षेत्रीय शीर्षो के तहत उसका एकीकरण ।

- धन देनेवाली संस्थाओं से एकरारनामा और निधि संचालन के लिए तद्नुरूप प्रसंविदा के लिए विस्तृत कार्य प्रक्रिया विकसित करना ।

5.22 पुननिर्माण/ पुनर्वास प्रबंधन – आपदा प्रबंधन प्राधिकार, जिम्मेवार विभागों के साथ मिल कर विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा चलाए जा रहे पुर्ननिर्माण कार्यो का अनुश्रवण करेगी । इन कार्यान्वयन गतिविधियों में निम्नांकित सम्मिलित है –

- आपदा-रोधी करण और आपदा-रोधी घरों का पुर्ननिर्माण;
- क्षतिग्रस्त संरचनाओं का सृजन /पुर्ननिर्माण – जैसे सड़क, पुल, बांध आदि जो आपदा के दौरान ध्वस्त /क्षतिग्रस्त हो ;
- संरचनाओं यथा स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों, अस्पतालों का निर्माण और चिकित्सकों और सर्जनों के समूह का गठन ;
- प्रभावित इलाके के उद्योगों को पुनः चल सकने योग्य बनाना; एवं
- जीविका साधनों को बहाल करना ।

परिशिष्ट -I

आपदा कमाण्ड संरचना

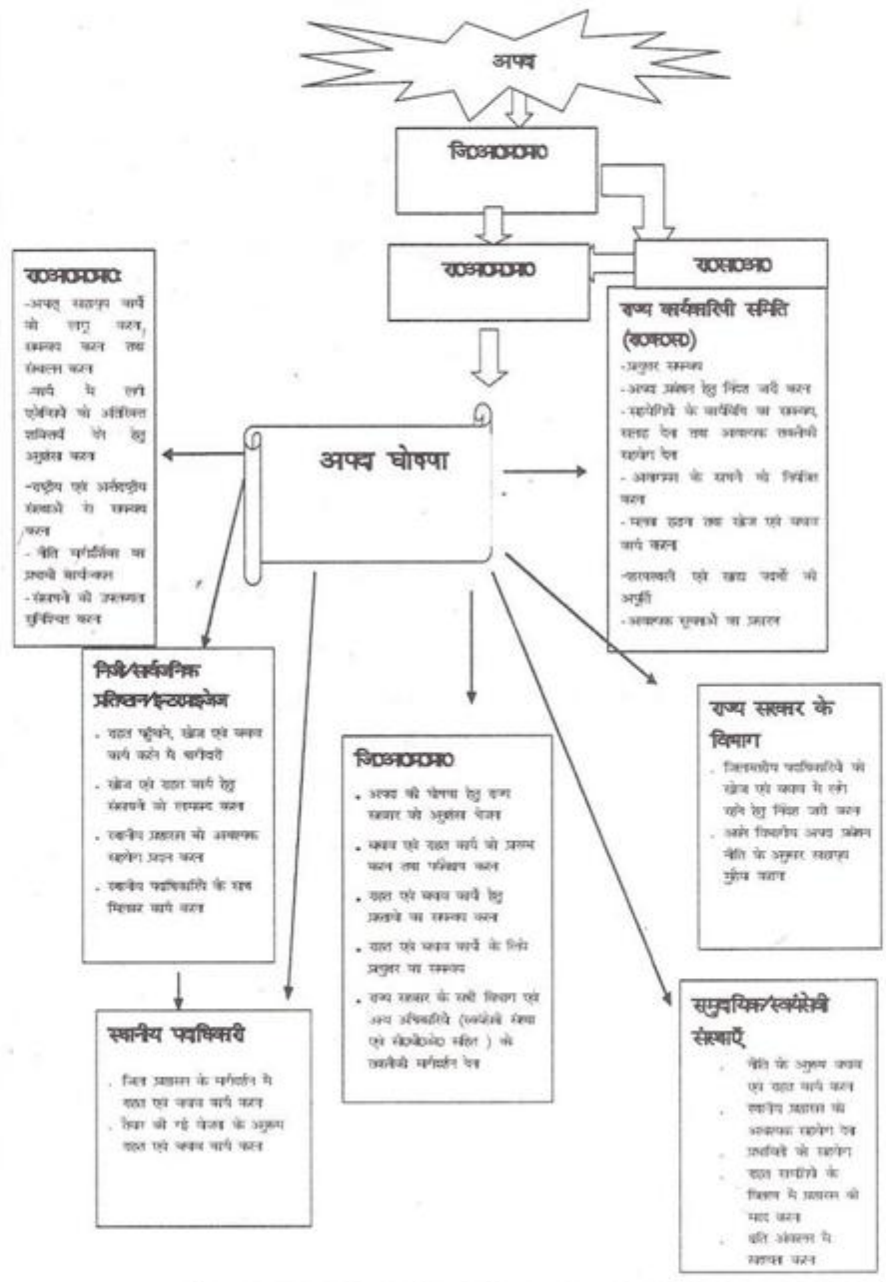

रा०आ०प्र०प्रा०- राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार, जि०आ०प्र०प्रा०-जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार ; रा०स०आ०- राज्य सहायता आयुक्त ; रा०का०स०-राज्य कार्यकारिणी समिति

परिशिष्ट – II

संबंधित परिभाषाएँ –

(क) प्रभावित क्षेत्र – राज्य का वह क्षेत्र या इलाका जो आपदा से प्रभावित हुआ हो ।

(ख) क्षमता निर्माण – इसमें शामिल है –

i) अर्जित या सृजित किये जाने वाले विद्यमान संसाधनों की पहचान

ii) उपर्युक्त (प) के अनुसार संसाधन अधिग्रहित करना या सृजित करना

iii) प्रभावकारी आपदा प्रबंधन के लिये कार्मिकों का संगठन, प्रशिक्षण और प्रशिक्षण का समन्वय

(ग) आपदा –, प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से उत्पन्न विपत्ति, दुर्घटना, आपदा या किसी क्षेत्र में बड़ी वारदात, दुर्घटना या वह लापरवाही, जिसके कारण मनुष्य को पीड़ा व भारी नुकसान हुआ हो या संपत्ति का नुकसान हुआ हो या पर्यावरण को क्षति पहुंची हो और जो इस तरह की प्रकृति या परिमाण का हो जो प्रभावित क्षेत्र के समुदाय के सामना करने की क्षमता के बाहर हो ।

(घ) आपदा प्रबंधन – का अर्थ, संगठन, समन्वय और इन्हें कार्यान्वित करने की लगातार और समन्वित प्रक्रिया है जो निम्नांकितों के लिए आवश्यक या समीचीन है –

(i) आपदा या आपदा के खतरे की रोकथाम,

(ii) किसी भी आपदा के जोखिम को कम करना या इसके प्रचंड परिणामों को कम करना,

(iii) क्षमता निर्माण,

(iv) आपदा से निबटने की तैयारी,

(v) किसी भी आपदा की स्थिति या आपदा के खतरे से निपटने में तुरंत प्रत्युत्तर ,

(vi) किसी भी आपदा के प्रभाव, परिमाण या उसकी तीव्रता का आँकलन करना ,

(vii) निष्क्रमण, बचाव और राहत और

(viii) पुनर्वास और पुनर्निर्माण ।

(ड०) जिला प्राधिकार – का अर्थ है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम– 2005 की धारा 25(1) के अनुसार बना हो ।

(च) स्थानीय प्राधिकार – इसमें पंचायती राज संस्थाएँ, नगर पालिकाएँ, सैनिक छावनी बोर्ड, शहरी योजना प्राधिकार या अन्य प्राधिकार या निकाय जो आवश्यक सेवाओं को देने हेतु विधि सम्मत हों और जो विशिष्ट स्थानीय क्षेत्र के अन्तर्गत सिविल सेवाओं के नियंत्रण एवं प्रबंधन के लिए हों । ।

(छ) न्यूनीकरण – न्यूनीकरण का अर्थ है आपदा या संभावित आपदा के जोखिम परिमाण और प्रभाव को कम करने वाले उपाय ।

(ज) पूर्व तैयारी – आपदा के खतरे, प्रभाव या आपदा के बाद की परिस्थिति से निबटने हेतु तुरंत तैयार रहने की स्थिति ।

(झ) संसाधन – इसमें शामिल है मानव शक्ति, सेवाएँ, साज–सज्जा, सामग्री और व्यवस्था (प्रोविजन्स) ।

(ट) राज्य प्राधिकार – का अर्थ है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार, जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14(1) के तहत स्थापित है ।

(ठ) राज्य कार्यकारिणी – इसका अर्थ है राज्य प्राधिकार की कार्यकारिणी समिति जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 20(1) के अनुसार गठित है ।

परिशिष्ट – III

आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

सं0-I- प्रा0आ0-42/2006/..209..../आ0प्र0वि0 दिनांक – 25.1.07

भारत के संविधान की 7 वीं अनुसूची की सूची -III समवर्ती सूची की 23 वीं प्रविष्टि (सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार द्वारा दि0-26.12.2005 को ''आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005'' में अधिसूचित किया गया है । राज्य सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन नीति की आवश्यकता को महसूस करते हुए **''बिहार राज्य आपदा प्रबंधन नीति -2007''** का सृजन किया गया है जिसे मंत्रिपरिषद की बैठक दि0-18.1.2007 के द्वारा स्वीकृत की गई है । आपदाओं से निपटने हेतु यह नीति जनहित में उपयोगी है । इसमें विभिन्न विभागों की अलग-अलग सहभागिता एवं जिम्मेदारी निरूपित की गई है । अत: संबंधित सभी विभाग तात्कालिक प्रभाव से इसका क्रियान्वयन करेंगे ।

यह नीति अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से बिहार राज्य में प्रवृत्त होगी तथा यह नीति सरकारी विभागों के लिए मार्गदर्शिका के रूप में प्रयुक्त होगी ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(पी0के0 बसु)
आयुक्त एवं सचिव

ज्ञापांक – 209 /आ0प्र0 दिनांक – 25.1.07

प्रतिलिपि : अनुलग्नक सहित अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना को बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित । अनुरोध है कि गजट की 500 अतिरिक्त प्रतियाँ आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को अनिवार्य रूप से शीघ्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय ।

आयुक्त एवं सचिव

D06-07\Policies, Acts, Rules etc \Adhisuchana New

ज्ञापांक - 209 /आ0प्र0 दिनांक - 25.1.07

प्रतिलिपि : अनुलग्नक सहित राज्य सरकार के सभी विभाग, सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सभी जिला पदाधिकारियों से अनुरोध है कि जनहित में तैयार की गई इस बिहार राज्य आपदा प्रबंधन नीति 2007 से अपने क्षेत्राधीन सभी स्थानीय प्रशासन, नगर निगमों, नगरपालिकाओं, स्थानीय स्वशासन, स्वयंसेवी अभिकरण, गैर सरकारी संगठन, समुदाय आधारित संगठनों (सी0बी0ओ0), युवा संगठनों इत्यादि को अवगत कराते हुए इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करेंगे ।

ह0/-

आयुक्त एवं सचिव

ज्ञापांक - 209 /आ0प्र0 दिनांक - 25.1.07

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन प्रभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन नीति 2007 की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

आयुक्त एवं सचिव

25/1/07